डीजी–परिपत्र–05/2020

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय,गोमतीनगर विस्तार
लखनऊ।

दिनांक : लखनऊ: जनवरी 28 2020

विषयः–अपराध कारित कर विदेशों में रह रहे नागरिकों पर सम्मन/नोटिस/न्यायिक कार्यवाही से सम्बन्धित तामीला हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देश का क्रियान्वयन किया जाना।

प्रिय महोदय/महोदया

प्रायः देखा जा रहा है कि अपराधियों द्वारा अपराध कारित करने के पश्चात विदेश भागने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस ओर सतर्क दृष्टि रखे जाने की नितान्त आवश्यकता है।

भारत सरकार ने 43 देशों से प्रत्यर्पण सन्धि एवं 11 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौता अनुबंध किया है, जिसको विदेश मंत्रालय की वेबसाइट(MEA) पर देखा जा सकता है। अनुबन्धित देशों से समझौते के अनुरूप सम्मन/वारण्ट/नोटिस/न्यायिक कार्यवाही से सम्बन्धित तामीला की कार्यवाही की जाती है। द0प्र0स0 के अन्तर्गत धारा 105 में भी इसका प्रावधान है। इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 25016/17/2007–लीगल सेल(**छायाप्रति संलग्न**) द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है।

फरार अपराधियों का पता लगाने और प्रभावी ढंग से उनके प्रवेश या निकास को रोकने और निगरानी करने के लिए भारत सरकार द्वारा लुक आउट परिपत्र/रेड कार्नर नोटिस/ प्रत्यर्पण की कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

(a)लुक आउट परिपत्र(LOC)

लुक आउट परिपत्र फरार अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय सीमाओं(जैसे अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डो या समुद्री बंदरगाहों/राज्य की सीमाओ) पर आव्रजन(Immigration) रोकने/पकड़ने में मदद करती है।

भारतीय नागरिक/विदेशी नागरिक के विरूद्व लुक आउट सर्कुलर जारी किये जाने के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या–25016/31 /2010–Imm दिनांक 27.9.2010 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 25016/10/2017– Imm दिनांक 19.9.2018 निर्गत किया गया है, का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए **(छायाप्रति संलग्न)**।

(b)रेड कार्नर नोटिस(RCN)

भारत/विदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत में अपराध कारित करने के फलस्वरूप उसके विरूद्व रेड नोटिस एवं अन्य नोटिस निर्गत किये जाने का प्रावधान है जिसका प्रारूप सी0बी0आई की अधिकारिक बेवसाइट www.cbi.gov.in/interpol/notice पर उपलब्ध है। जिन फरार अपराधियों के विरूद्व नोटिस निर्गत किया जाना है उसका विवरण सी0बी0आई की अधिकारिक बेवसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में भरकर पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, नोडल अधिकारी(इण्टरपोल) को प्रेषित किया जाए।

(c)प्रत्यर्पण (Extradition)

किसी भगोड़ा अपराधी(Fugitive Criminal) के विरूद्व प्रत्यर्पण की कार्यवाही "भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962" के अधीन की जाती है।

भगोड़ा अपराधी(Fugitive Criminal) का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी राज्य के अधिकार क्षेत्र में प्रत्यर्पण अपराध का आरोपी है या दोषी है।

भारतीय नागरिकों के विदेश से देश में प्रत्यर्पण के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन हेतु निर्धारित मार्गदर्शी सिद्वांत, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट www.mea.gov.in/ extraditionguidelinesaabroad.htm पर उपलब्ध है।**"प्रत्यर्पण अनुरोध की तैयारी के लिए सुझाव/दिशा निर्देश",कनाडा प्रत्यर्पण अनुरोध की तैयारी के लिए दिशा–निर्देश और शपथ–पत्र नमूना (छायाप्रति संलग्न) की जा रही है।**

जिन भगोड़ा अपराधी का प्रत्यर्पण(Extradition)कराया जाना है उसका विवरण सी0बी0आई की अधिकारिक बेवसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में भरकर पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, नोडल अधिकारी(इण्टरपोल) को प्रेषित किया जाए।

(d)अपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता हेतु दिशा–निर्देश
(Guidelines on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)-

अपराध कारित कर विदेशों में रह रहे नागरिकों पर अपराधिक मामलों के सम्बन्ध में कानूनी सहायता अनुरोध और सम्मन/नोटिस/न्यायिक कार्यवाही से सम्बन्धित गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में जारीं दिशा–निर्देश को आवश्यकतानुरुप पुनः संशोधित कर निर्गत दिशा–निर्देश जारी किये है**(छायाप्रति संलग्न),** जिनका अपेक्षानुसार अनुपालन किया जाए।

उपरोक्त वर्णित तथ्य आपके मार्गदर्शन हेतु हैं। आप अपने स्तर से गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन में निहित निर्देशों से अपने अधीनस्थों को अवगत कराते हुए आवश्यकतानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि **समय–समय पर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट की अद्यावधिक स्थिति से भी सज्ञानित होते रहे, ताकि भविष्य में उक्त संदर्भ में होने वाले यथाअपेक्षित संशोधन या सुझाव/दिशा–निर्देश का समय पर अनुपालन सुनिश्चित हो सके।**

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय
27/1/20
(ओ0पी0सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज् उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित

1. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज् उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उ0प्र0।